भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2479
उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 18 दिसंबर, 2023
27 अग्रहायण, 1945 (शक)

श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों में स्मारकों के पुनरुद्धार हेतु निधि का आवंटन

2479. **श्री रामशिरोमणि वर्मा:**

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा ऐतिहासिक और धार्मिक स्मारकों के संरक्षण, सुरक्षा, नवीकरण, संरक्षा और सौंदर्यीकरण के लिए वर्ष-वार क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले पांच वर्षों के दौरान इस कार्य के लिए आवंटित और जारी की गई निधि का उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निकट भविष्य में पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किए जाने वाले नए ऐतिहासिक भवनों या स्थलों को सूचीबद्ध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): उत्तर प्रदेश राज्य में 743 सरंक्षित स्मारक तथा स्थल हैं जिनकी देखभाल और अनुरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्मारकों का संरक्षण तथा अनुरक्षण संबंधी कार्य उनकी आवश्यकता तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुसार करता है। इसके अलावा, सुरक्षा तथा संरक्षा के लिए स्मारकों में प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों और सीआईएसएफ स्टाफ को तैनात किया गया है। यदि किसी अतिक्रमण की सूचना मिलती है तो उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई आरंभ की जाती है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान संरक्षण तथा परिरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटित निधियों का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) और (घ): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अनुबंध- ।

लोकसभा में दिनांक 18.12.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 2479 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध
पिछले पांच वर्षों के दौरान संरक्षण तथा परिरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित निधि का ब्यौरा

(राशि करोड़ रूपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मंडल/शाखा	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
उत्तर प्रदेश	आगरा	8.60	13.55	13.00	19.35	21.27
	झांसी	-	-	1.00	4.15	7.00
	लखनऊ	4.82	5.60	3.88	10.44	19.03
	सारनाथ	2.55	3.20	4.38	5.50	10.15
	मेरठ	-	-	0.00	2.80	6.20
महाराष्ट्र	औरंगाबाद	4.30	6.08	3.16	8.00	18.70
	मुंबई	8.90	9.50	11.00	12.00	15.35
	नागपुर	4.70	5.40	4.00	4.50	5.00
कर्नाटक	बैंगलोर	9.85	11.10	5.27	9.75	19.85
	हम्पी	5.35	10.00	9.10	8.00	10.00
	धारवाड़	6.40	7.45	6.40	7.32	10.08
मध्य प्रदेश	भोपाल	8.10	12.50	11.50	11.50	14.90
	जबलपुर	-	-	3.50	4.75	8.00
ओडिशा	भुवनेश्वर	5.90	5.30	3.63	8.23	13.18
पश्चिम बंगाल	कोलकाता	10.75	8.15	6.03	7.67	10.16
सिक्किम	रायगंज	-	-	1.35	5.00	7.00
तमिलनाडु/पुडुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	चेन्नई	8.10	9.60	5.25	8.00	11.45
तमिलनाडु	त्रिची	-	-	2.00	4.00	8.50
पंजाब हरियाणा	चंडीगढ़	2.90	1.57	0.80	1.50	6.53
हिमाचल प्रदेश	शिमला	1.51	2.15	1.25	1.15	8.90
दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)	दिल्ली	30.67	30.25	24.51	19.10	30.50
गोवा	गोवा	1.60	2.20	3.70	7.00	10.45
असम मेघालय नगालैंड अरूणाचल प्रदेश	गुवाहाटी	3.15	3.40	3.04	3.30	7.44
मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा	आइजोल	0.85	1.00	1.31	1.25	2.00
राजस्थान	जयपुर	2.90	4.90	7.40	7.53	10.28
	जोधपुर	4.15	5.40	4.10	4.50	7.65
तेलंगाना	हैदराबाद	**3.70**	**5.35**	**2.80**	**7.00**	15.50
आंध्र प्रदेश	अमरावती	**5.30**	**5.15**	**4.57**	**5.75**	11.60
बिहार	पटना	1.76	1.55	1.23	3.35	9.00
जम्मू एवं कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)	श्रीनगर	1.75	1.55	0.80	2.55	6.11
लद्दाख (संघ राज्य क्षेत्र)	लघु मंडल लेह	0.70	0.30	0.20	0.43	1.92
केरल	त्रिशूर	2.27	4.50	2.03	6.82	7.50
गुजरात/ दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	वडोदरा	9.62	7.00	6.35	8.00	11.00
गुजरात	राजकोट	-	-	0.99	2.50	3.09
उत्तराखंड	देहरादून	0.82	3.59	4.60	3.75	4.85
छत्तीसगढ	रायपुर	2.10	3.00	2.89	4.78	7.50
झारखंड	रांची	0.86	1.60	0.88	1.18	2.00

*****